

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सचिवदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना एवं दरभंगा
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक 20-02-2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹20,66,300/- (बीस लाख छियासठ हजार तीन सौ रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड में विभागीय आवंटनादेश संख्या-09(7)ब दिनांक-15.05.17, 44(7)ब दिनांक-17.08.17, 68(7)ब दिनांक-22.09.17, 70(7)ब दिनांक-25.09.17, 88(7)ब दिनांक-16.10.17, 90(7)ब दिनांक-17.10.17, 99(7)ब दिनांक-5.12.17 एवं 135(7)ब दिनांक-18.01.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों के लिए कुल ₹20,66,300/- (बीस लाख छियासठ हजार तीन सौ रु.) मात्र का आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।


3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से तथा पुनर्विनियोग (स्वीकृत्यादेश संख्या-199(7) दिनांक-8.02.18) से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन होंगे तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना एवं दरभंगा /संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख,स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।



2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।
सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशाक / निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।
7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग / स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।
9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।
10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
11. संबंधित सिविल सर्जन एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन, /

← 18/2/18
20/2/18

(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 142(7)A

पटना, दिनांक : 20-02-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना / वित्त विभाग बजट शाखा / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित सिविल सर्जन / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी-03,07 / आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

← 18/2/18
20/2/18

सरकार के विशेष सचिव

9

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2017-2018 (विपत्र कोड 20-2210012000001) में बिहार स्थित यक्ष्मा उपशीर्ष का वेतन मत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन मत्ता (01-03)	मकान मत्ता (01-04)	परिवहन मत्ता (01-05)	चिकित्सा मत्ता (01-06)	अन्य मत्ता (01-07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	किराया महशूल एवं कर (14-01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	553797	553797	239/15.12.17
2	अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना	10000	10000	1000	2000	1000	1000	25000	0	0	25000	06/4.1.18
3	अपर मुख्य चि0पदा0, पटना	40000	60000	120000	6000	800	400	227200	0	0	227200	02/18.1.18
4	अपर मुख्य चि0पदा0, मुंगेर	40000	58000	120000	0	1300	1300	220600	0	0	220600	36/18.1.18
5	अपर मुख्य चि0पदा0, मधेपुरा	40000	119000	135700	0	29000	34580	358280	0	0	358280	13/27.1.18
6	अपर मुख्य चि0पदा0, नालन्दा	0	0	0	0	0	0	0	681423	0	681423	441/20.11.17
	कुल	130000	247000	376700	8000	32100	37280	831080	681423	553797	2066300	

(बीस लाख छियासठ हजार तीन सौ) रु. मात्र

142 (7)9
20-02-18

20/2/18

सरकार के विशेष सचिव

(3)

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	220000000	219870000	130000	220000000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	290000000	289753000	247000	290000000	0
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	325000000	321233000	376700	325000000	0
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	2000000	1992000	8000	2000000	0
5	त्रिकिस्ता भत्ता (0001-01-06)	2500000	2467900	32100	2500000	0
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	3000000	2962720	37280	3000000	0
	योग 20-2210.01.200.0001.01 वेतन	550000000	549168920	831080	550000000	0
7	त्रिकिस्ता प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	1300000	592561	681423	1273984	26016
8	यात्रा व्यय (0001-11-01)	250000	135000	0	135000	115000
9	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	400000	400000	0	400000	0
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	300000	152500	0	152500	147500
11	दूरभाष (0001-13-03)	200000	136000	0	136000	64000
12	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	5000000	5000000	0	5000000	0
13	विधि प्रभार (0001-13-05)	300000	185000	0	185000	115000
14	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	200000	200000	0	200000	0
15	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	700000	100000	553797	653797	46203
15	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	2200000	61186	0	61186	2138814
16	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	380000	264500	0	264500	115500
17	दवा भंडार (0001-21-02)	600000	26780	0	26780	573220
18	आहार / पथ्य (0001-21-03)	600000	500000	0	500000	100000
19	मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01)	400000	100000	0	100000	300000
	कुल योग:-	562830000	557022447	2066300	559088747	3741253

142(7)A

20-02-18

सरकार के विशेष सचिव

